लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019
संख्या-9/2019/527/तीस-4-2019-160/96

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2019

विषय: लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों के किराये भाड़े की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-559सा0प्र0/18-330टीआर/2016, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 एवं पत्र संख्या-110सा0प्र0/18-330टीआर/2016, दिनांक 15 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में यातायात प्रबन्ध–प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों के किराये भाड़े एवं ईधन खपत की दरों के निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों के किराये भाड़े की दरों का निर्धारिण पूर्व में शासनादेश संख्या-04/2017/65/तीस-4-2017-160/96, दिनांक 19.01.2017 द्वारा किया गया था। सम्यक विचारोपरान्त विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 की तुलना में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में यातायात प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों के किराये भाड़े में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्त वृद्धि केवल वर्तमान लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 तक ही लागू रहेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-601/दस-2019 दिनांक 19 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2019/527/तीस-4-2019-363/93टीसी तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) सी0ए0ए0एस0-3-टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
7. समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
8. वित्त(व्यय नियत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in